राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ 5( ) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2016/4902-72 जयपुर,दिनांक 10.5.16

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा,
चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर,
जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली,
राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ (राज0)।

विषयः– अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त ग्रामों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांकः एफ 5( ) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2016/3711–41 दिनांक 13.4.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 03.5.2016 में लिए गए निर्णयानुसार, अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त ग्रामों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 13.4.2016 के क्रम में, पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता की समयावधि 30 दिवस उपरांत बढ़ाकर 90 दिवस या 15 जुलाई, 2016 जो भी पहले हो तक के लिए की जाती है। किसी भी गौशाला को अभाव अवधि की अंतिम तिथि तक 90 दिवस से अधिक राहत सहायता देय नहीं होगी। जिन गौशालाओं को राहत सहायता की अवधि बढ़ाई जाने की स्वीकृति आवश्यकतानुसार जारी की जानी है, उनके सम्बन्ध में नवीन स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति सम्बन्धी आदेश में प्रथम स्वीकृति की 30 दिवस की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि को अपने स्तर पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी की जावेगी।

उदाहरणार्थ : जिला कलेक्टर द्वारा किसी गौशाला को प्रथम 30 दिवस की अवधि की स्वीकृति यदि दिनांक 1.5.2016 को जारी की गई हो तो इसकी अवधि बढ़ाई जाने की आवश्यकता होने पर नवीन स्वीकृति सॉफ्टवेयर के माध्यम से 30 दिवस पश्चात् अर्थात् 31.5.2016 को ही जारी की जावे।

भवदीय

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–
1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, गोपालन विभाग,राज.,जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव पशुपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव